राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/समय–टास्क/2011–12 जयपुर, दिनांक : 31 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य समय एवं टास्क के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान वृद्वि के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता क्षीण होने के मद्देनजर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रचलित टास्क में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है। अर्थात नरेगा के तहत निर्धारित टास्क दर, ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित टास्क दरों का 50 प्रतिशत रहेगा। इसके अलावा यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यस्थल पर नियोजित मेट कार्यो का संचालन इस प्रकार करें कि श्रमिक प्रातः 6 बजे से कार्य करते हुए बिना अवकाश अन्तराल के 10 बजे तक उक्त निर्धारित टास्क पूर्ण कर घर लौट सकें। यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू होगी एवं 30 जून 2012 अथवा मानसून आने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी रहेगी।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. निदेशक एवं उप सचिव, जनसम्पर्क विभाग को समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस